नस्ति संख्या 4-19/2016-हि.प्र.वि. (शै.)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् 'ए' ग्रेड विश्वविद्यालय)
शैक्षणिक शाखा, समरहिल शिमला-171005

दिनांकः 10 OCT 2023

अधिसूचना

महाविद्यालयों के प्राचार्य व विभिन्न छात्रों द्वारा प्रदत्त पत्रों/ प्रतिवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के उपरांत कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, ने इस कार्यालय की सम संख्या 4–19/2016–हि.प्र.वि. (शै.) दिनांक 08.08.2023 और 23.08.2023 के नैरन्तर्यता में उन छात्रों को जो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्नातक और स्नातकोत्तर (UG and PG) स्तर पर शैक्षणिक सत्र 2023–24 वर्ष की कक्षाओं में निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं ले सके हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त सरकारी, गैर–सरकारी महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश की अन्तिम तिथि 14.10.2023 तक बढ़ाने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया है।

इसके अतिरिक्त अधिसूचना संख्या 4–19/2016–हि0प्र0वि0(शै0) दिनांक 27 सितम्बर 2023 के अंतर्गत कार्यकारिणी परिषद् द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 B.A./B.Sc./B.Com और Shastri अन्तिम वर्ष के छात्रों, जिनके पांच वर्ष JBT/D.El.Ed. कोर्स/पाठ्यक्रम के कारण पूर्ण हो चुके हैं ऐसे छात्रों को एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि प्रदान की गई है तथा वे सभी छात्र विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त सरकारी, गैर–सरकारी महाविद्यालयों में स्नातक (UG) के अन्तिम वर्ष (Final Year) की कक्षाओं में प्रवेश ले सकते हैं, जिसकी अन्तिम तिथि भी 14.10.2023 है।

इस सम्बन्ध में सभी कोर्सों में प्रवेश हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अध्यादेश महाविद्यालयों की विवरण–पुस्तिकाओं में दर्शाए नियमों तथा अधिष्ठाता अध्ययन के कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

10/10/2023
कुलसचिव
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय,
शिमला–171005.

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि
दिनांकः 10 OCT 2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु प्रेषितः–

1. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला–5 से सम्बद्धता प्राप्त सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचनार्थ एवं निदेर्शित किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना को अपने सूचना पट्ट पर सभी छात्रों की सुविधा के लिए लगाया जाए।
2. प्रधान सचिव, शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
3. निदेशक उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–1.
4. परीक्षा नियन्त्रक, हि.प्र.वि. शिमला–5.
5. अधिष्ठाता अध्ययन, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला–5.
6. क्षेत्रीय निदेशक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, धर्मशाला/निदेशक आई.सी.डी.ई.ओ.एल. शिमला–5.
7. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, गोपनीय/परीक्षा/मूल्याकंन/पूनर्मूल्यांकन/संचालन/आर.एम.ई./डिग्री सैल/सामान्य प्रशासन/इन्टरनल ऑडिट/ए.आर.ओ, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला–5.
8. पी.आर.ओ. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से अनुरोध है कि उपरोक्त अधिसूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए व आकाशवाणी शिमला से भी प्रसारित किया जाए।
9. सचिव कुलपति/वरिष्ठ निजी सचिव कुलपति/कुलसचिव, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला–5.
10. वैब एडमिन, परीक्षा शाखा, हि.प्र.वि. को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने/दर्शाने हेतु प्रेषित।
11. प्रभारी पूछताछ, अनुभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला–5.
12. रक्षक नस्ति।

कुलसचिव